स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 89, दिनांक 15–03–2024

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, लगभग 2.5 किलोग्राम चरस बरामद।

दिनांक 15–03–2024 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चरस की तस्करी कराने वाले गिरोह का सरगना व थाना गोमतीनगर, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 72/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित मुख्य अभियुक्त राजकुमार यादव उर्फ दीपक उर्फ राजू को 2.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (चरस) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

1– राजकुमार यादव उर्फ दीपक उर्फ राजू पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद यादव नि०–ग्राम दिपऊ पो०–तलवा पोखर थाना कोटवा, जिला मोतिहारी बिहार।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 2.5 किलोग्राम चरस।
2– रू0–200/–नगद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–</u>

दिनांक 15–03–2024 समय 15:20 बजे मिठाई वाले चौराहे गोमतीनगर पुल के नीचे मुख्य मार्ग जनपद लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 11–02–2024 को गिरफ्तार अभियुक्त गुलेल महतो व गुड़िया खातून जिनके पास से 23 किलोग्राम चरस बरामद हुआ था से पूछताछ में यह प्रमाणित होने पर कि उक्त गिरोह का सरगना राजकुमार यादव उर्फ दीपक उर्फ राजू है। जो भारत–नेपाल बॉर्डर पर ग्राम कोटवा मोतिहारी पूर्वी चम्पारण के पास रहता है तथा नेपाल से भारी मात्रा में चरस मंगाता है, जिसे विभिन्न कैरियरों (जिसमे महिलाये भी शामिल रहती) के माध्यम से पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, हरियाणा में सप्लाई कराता है। आज दिनांक 15.03.2024 को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 टीम को सूचना प्राप्त हुई कि चरस की तस्करी कराने वाले गिरोह का सरगना राजकुमार यादव लखनऊ के थाना गोमतीनगर क्षेत्र में मिठाई वाले चौराहे के पास पुल के नीचे मुख्य मार्ग पर मौजूद है, जिसके पास अवैध मादक पदार्थ हैं। इस सूचना पर निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह, मु0आ0 नीरज पान्डेय, मु0आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव की

टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर कर राज कुमार को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार यादव ने बताया कि उसका अवैध मादक पदार्थ (चरस) तस्करी का गिरोह है, इस गिरोह का सरगना स्वयं है। नेपाल से चरस मंगाकर लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में अपने कैरियरों के माध्यम तथा स्वयं भी सप्लाई करता है। कैरियरों को निर्धारित स्थान पर माल पहुंचाने के लिए पचास हजार रूपये प्रति चक्कर देता है। दिनांकः–11–02–2024 को ल गुलेल महतो व गुड़िया खातून को 23 किलोग्राम चरस के साथ उसने ही लखनऊ पहुँचाने के लिए भेजा था। राज कुमार यादव इसके पूर्व भी चरस तस्करी के मामले में अमृतसर पंजाब से जेल जा चुका है।

राज कुमार यादव का आपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 72/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ।
2– मु0अ0सं0 239/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बटाला रोड अमृतसर पंजाब।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है तथा पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 72/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में भी वांछित चल रहा है। दोनों अभियोगों में अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।